IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों के सशक्तिकरण तथा मानवाधिकार मूल्यों का तुलनात्मक अध्ययन

आरती शर्मा (एम. एड. छात्रा) एवं डॉ. भुवनेश शर्मा सहायक आचार्या (शिक्षा विभाग}
स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश–

प्रस्तुत शोध मेरठ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में महिला सशक्तिकरण व मानवाधिकार पर आधारित है। प्रस्तुत शोध का उद्देश्य ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में महिला सशक्तिकरण व मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन करना है। शोध विषय को ध्यान में रखते हुए वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया। शोध कार्य के अध्ययन हेतु मेरठ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की 200 किशोरियों को यादृच्छिक न्यादर्श विधि द्वारा प्रतिदर्श के रूप में चयन किया गया। आंकड़ों के संकलन के लिए देवेंद्र सिंह सिशोदिया तथा अल्पना सिंह द्वारा निर्मित सशक्तिकरण मानक एवं परमानंद सिंह तथा लालधारी यादव द्वारा निर्मित मानवाधिकार मूल्य विकास प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है। प्राप्त आंकड़ों को एकत्र कर विश्लेषण के लिए मध्यमान, मानक-विचलन तथा टी-परीक्षण आदि को प्रयोग में लाकर उनकी विवेचना के पश्चात् यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ है कि मेरठ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में महिला सशक्तिकरण व मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है।

मूल शब्द : सशक्तिकरण, मानवाधिकार, मूल्य, किशोरियां

प्रस्तावना–

प्रत्येक प्रगतिशील समाज के निर्माण में स्त्री व पुरुष दोनों ही सहयोग करते हैं। भारतीय संस्कृति में नारी को पुरुष का पूरक माना गया है। वह माता, पत्नी व पुत्री के रूप में केवल परिवार का ही पालन पोषण नहीं करती, अपितु समाज व राष्ट्र के विकास में पुरुष की भांति सहयोग करती है। अतः दोनों को एक समान शिक्षा मिलना आवश्यक है। अगर दोनों में से किसी एक का भी शिक्षा का स्तर गिरा तो समाज के विकास का स्तर भी गिर जाएगा। देश की प्रगति के लिए केवल पुरुषों का ही शिक्षित होना अनिवार्य नहीं है, अपितु महिलाओं का भी शिक्षित होना अत्यंत अनिवार्य है। एक पुरुष को शिक्षित करके हम सिर्फ एक ही व्यक्ति तक शिक्षा पहुंचा पाएंगे, पर एक महिला को शिक्षित करके हम एक परिवार तथा देश तक शिक्षा को पहुंचा पाएंगे। प्रत्येक परिवार जब शिक्षित होगा तो समाज भी शिक्षित बनेगा। इसी प्रकार समस्त समाज मिलकर एक शिक्षित देश का निर्माण करेंगे। वर्तमान समय में देश तो प्रगति की ओर अग्रसर है, परंतु अभी भी महिला व पुरुष में भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता है। हालांकि महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में भारतवर्ष को गौरवान्वित कार्य करके स्वयं को सशक्त सिद्ध किया है। भारत की महिलाएं हर ओर परचम लहरा रही हैं । (STUDYFRY.COM 2020) जहां हम भारत के प्रथम सक्सेस महिलाओं के रूप में प्रथम मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, प्रथम महिला चिकित्सक कादंबिनी गांगुली, प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रथम महिला आई पी एस किरण बेदी, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा, प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती , प्रथम फिल्म अभिनेत्री देविका रानी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, प्रथम हिमालय पर्वतारोही बछेंद्री पाल, प्रथम भारत रत्न इंदिरा गांधी, प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुबारायन, प्रथम महिला अभिवक्ता रेगिना गुहा, प्रथम उच्च न्यायालय महिला न्यायाधीश लीला सेठ, प्रथम सर्वोच्च न्यायालय महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी आदि जो अपने कार्य क्षेत्र में शिखर पर हैं। आज भी भारतीय महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की उन्नति में सहयोग कर रही हैं। महिलाओं के इतने प्रशंसनीय कार्य करने के बावजूद भी विडंबना यह है कि उनके सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस की जाती है। समाज में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा अनेक कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, जैसे मातृ-दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला-दिवस आदि। महिलाओं की जागरूकता तथा उनके उत्थान के लिए सरकार ने भी अनेक भरसक प्रयास किए हैं। जिनके द्वारा महिलाओं की सामाजिक बेड़ियों को तोड़ा जा रहा है तथा उन्हें प्रगति की ओर ले जाया जा रहा है। सरकार ने रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए उन पर कानूनी प्रतिबंध भी लगाए हैं। जैसे- बाल-विवाह, भ्रूण-हत्या, दहेज-प्रथा, बाल- मजदूरी, घरेलू- हिंसा आदि। लेकिन अन्य क्षेत्र में इनके ओर अधिक विकास की आवश्यकता है। देश में लैंगिक असमानता देखी जाती है। समय के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में नई विचारधारा के प्रति लोगों में जागरूकता आ गई है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति अत्यंत शोचनीय है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था न होने के कारण महिलाओं की दशा दयनीय है|

घरेलू-हिंसा, मानसिक-प्रताड़ना लगभग हर देश में, हर समय देखी जाती है। समाज में लिंग, जाति, रंग, धर्म, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किसी न किसी रूप में अवश्य मिलता है। समाज में सबसे अधिक अपराध महिलाओं के प्रति हो रहे हैं। इसीलिए महिलाओं के मानवाधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विश्व के अधिकांश देशों में महिलाओं को विशेष अधिकार दिए जाते हैं ताकि वे समाज में सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। यूनेस्को के अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व में भारतीय महिलाएं 99 स्थान पर है। भारत में प्रतिवर्ष 150 लाख बच्चियां जन्म लेती है, जिनमें से 25% की मृत्यु 15 वर्ष की उम्र से पहले ही हो जाती है। हालांकि भारत जैसे देश में अभी इनके प्रति इतनी जागरुकता नहीं है जितनी होनी चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा पिछले वर्षों में मानवाधिकार की दिशा में अनेक ठोस कदम उठाए गए।

अध्ययन की आवश्यकता -

समाज में आज भी पुरानी अंधविश्वासी सोच विद्यमान है। जहां महिलाओं को पुरुषों से कम आंका जाता है। महिलाओं को वर्तमान में भी पुरुषों की भांति समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है एवं अन्य क्षेत्रों में भी उनका शोषण किया जा रहा है। महिलाओं को शिक्षा पाने के अधिकार से वंचित रखा जाता है। यदि पूरे भारत की साक्षरता दर का अवलोकन किया जाए तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की साक्षरता की तुलना की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर शहरी क्षेत्र की तुलना में कम है। शहरी क्षेत्र में पुरुष साक्षरता दर 2011 में 79% जबकि महिला साक्षरता दर 59% है| यदि ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो यही साक्षरता दर 90% व 80% है| परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी भी महिलाओं की साक्षरता दर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र दोनों में पुरुषों की तुलना में कम है। (The Hindu 2022) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) के लैंगिक असमानता सूचकांक 2020 में भारत विश्व स्तर पर 146 देशों के बीच 135वें स्थान पर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स चार प्रमुख आयामों या उप सूचकांक को आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, व राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक समानता को बताता है। भारत स्वास्थ्य और उत्तरजीविता में 146वे स्थान पर आर्थिक भागीदारी और अवसर में 183वे स्थान पर शैक्षिक प्राप्ति में 107वे और राजनीतिक सशक्तिकरण में 48वे स्थान पर है। (कौशिक 2022) संसद में कुल महिला सदस्यों की संख्या 103 हो गई है| जिसमें लोकसभा में केवल 78 महिलाएं व राज्यसभा में केवल 25 महिलाएं सांसद है| (माथुर, भास्कर 2022) देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि हो रही है। 2020 में देशभर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 371,503 मामले दर्ज किए गए। जिसमें पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता 30% अपहरण, 16.8 प्रतिशत बलात्कार, 7.5 प्रतिशत मामले हैं| अतः महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। यह केवल खोखली औपचारिक घोषणा बनकर रह गए हैं। अत्याचार, घरेलू हिंसा, शोषण जैसी बुराइयां मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता न होने के कारण बढ़ रही है। भारत सरकार द्वारा समयसमय पर विभिन्न आयोगों और समितियों का भी गठन किया गया-, ताकि शिक्षा की राह में आने वाली बाधाओं को समझा जा सके और फिर उनका निराकरण किया जा सके।

सरकार के प्रयासों के अच्छे परिणाम देखने को मिले और अब बालिकाओं के बीच शिक्षा का प्रचार-प्रसार काफी बढ़ गया है लेकिन यह संतुष्ट होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाने का समय नहीं है बल्कि शिक्षा की दिशा में हमें अभी काफी कुछ करना है।

शोध के उद्देश्य -

- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।
- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन।

परिकल्पना -

- ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों में शहरी क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों में शहरी क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है ।

परिसीमन -

- प्रस्तुत अध्ययन में मेरठ जिले की विद्यालयों के ही आंकड़े एकत्रित किए गए है |
- प्रस्तुत अध्ययन माध्यमिक स्तर के सरकारी तथा गैर- सरकारी स्कूलों तक सीमित है|

अध्ययन विधि - प्रस्तुत शोध अध्ययन की प्रकृति सर्वेक्षण है अतः प्रस्तुत शोध अध्ययन में सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन अभिकल्प - इस अध्ययन को पूर्ण करने के लिए दो-स्थाई समूह विकल्प का अनुसरण किया गया है।

अध्ययन की जनसंख्या - प्रस्तुत अध्ययन में जनसंख्या के रूप में मेरठ जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की किशोरियों को लिया गया है।

अध्ययन में प्रयुक्त होने वाले न्यादर्श - प्रस्तुत अध्ययन हेतु न्यादर्श के रूप में मेरठ जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 10-10 विद्यालयों को यादृच्छिक विधि से चयनित किया गया है। जिसमें से प्रत्येक विद्यालय से 10-10 छात्राओं को चयनित किया गया है। इस प्रकार कुल किशोरियों की संख्या 200 है।

अध्ययन उपकरण का चयन -प्रस्तुत अध्ययन प्रकरण के अनुरूप दो चरों के दो उपकरण का प्रयोग शोध में किया गया है - देवेंद्र सिंह सिशोदिया तथा अल्पना सिंह द्वारा निर्मित सशक्तिकरण मानक एवं परमानंद सिंह तथा लालधारी यादव द्वारा निर्मित मानवाधिकार मूल्य विकास प्रश्नावली द्वारा लिया गया है

अध्ययन में प्रयुक्त होने वाली सांख्यिकी पद्धति -

मध्यमान ,मानक-विचलन एवं टी परिक्षण द्वारा आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है

अध्ययन प्रदत्तो का विश्लेष्ण एवं व्याख्या –

सारणी संख्या - 1

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

कुल पक्ष	क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी- प्राप्तांक	सार्थकता परिणाम
अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व	ग्रामीण किशोरियां	100	23.46	4.85	0.48	5.126	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	26.42	2.95	0.29		
स्वायत्तता एवं आत्मविश्वास	ग्रामीण किशोरियां	100	23.39	4.85	0.48	3.789	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	25.36	2.30	0.22		
निर्णय प्रक्रिया	ग्रामीण किशोरियां	100	23.8	4.23	0.43	4.334	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	26.19	3.13	031		
भागीदारी	ग्रामीण किशोरियां	100	25.31	4.33	0.43	1.742	सार्थक अंतर नहीं है।
	शहरी किशोरियां	100	26.36	3.81	0.38		
क्षमता विकास	ग्रामीण किशोरियां	100	25.56	4.01	0.40	0.860	सार्थक अंतर नहीं है।
	शहरी किशोरियां	100	26	3.62	0.36		
सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता	ग्रामीण किशोरियां	100	25.47	4.48	0.46	1.577	सार्थक अंतर नहीं है।
	शहरी किशोरियां	100	26.36	3.57	0.35		
सूचना माध्यमों की उपयोगिता	ग्रामीण किशोरियां	100	25.26	3.53	0.35	1.852	सार्थक अंतर नहीं है।
	शहरी किशोरियां	100	26.15	3.36	0.33		
कुल एकांश	ग्रामीण किशोरियां	100	172.25	16.94	1.69	4.548	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	182.84	14.46	1.44		

सारणी संख्या - 1 के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की किशोरियों में सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता के आयामों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसमें आयाम अधिकार एवं स्वतंत्र अस्तित्व, स्वायत्तता व आत्मविश्वास तथा निर्णय प्रक्रिया पर प्राप्त अंकों की मध्यमान के बीच टी-प्राप्तांक क्रमशः 5.126, 3.789 तथा 4.334 प्राप्त हुए। जो स्वतंत्रता अंश 198 के सार्थकता स्तर 0.05 के सारणी मान 1.96 से अधिक है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त आयामों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की किशोरियों में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ| शहरी क्षेत्र की किशोरियों का महिला सशक्तिकरण के अधिकार व स्वतंत्र अस्तित्व, स्वायत्तता एवं आत्मविश्वास तथा निर्णय प्रक्रिया आयाम ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में अधिक है। सारणी संख्या- 1 का पुर्नअवलोकन करने पर विदित होता है कि आयाम भागीदारी, क्षमता विकास, सामाजिक राजनीतिक व कानूनी जागरूकता तथा सूचना माध्यमों की उपयोगिता पर प्राप्त अंकों की मध्यमान के बीच टीप्राप्तांक क्रमशः 1.742, 0.860, 1.577 तथा 1.852 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता अंश 198 के सार्थकता स्तर 1.96 के सारणी मान से कम है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त आयामों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की किशोरियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। दोनों समूहों के उपर्युक्त आयामों के मध्यमान का अवलोकन करने पर विदित होता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों के महिला सशक्तिकरण के उपर्युक्त आयाम सामान स्तर के है। दोनों समूहों के कुल सशक्तिकरण पर प्राप्त अंकों के

मध्यमान के बीच टी-प्रासांक 4.548 प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट होता है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि परिकल्पना -1"ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों में शहरी क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता" में कोई सार्थक अंतर नहीं है" निरस्त होती है |

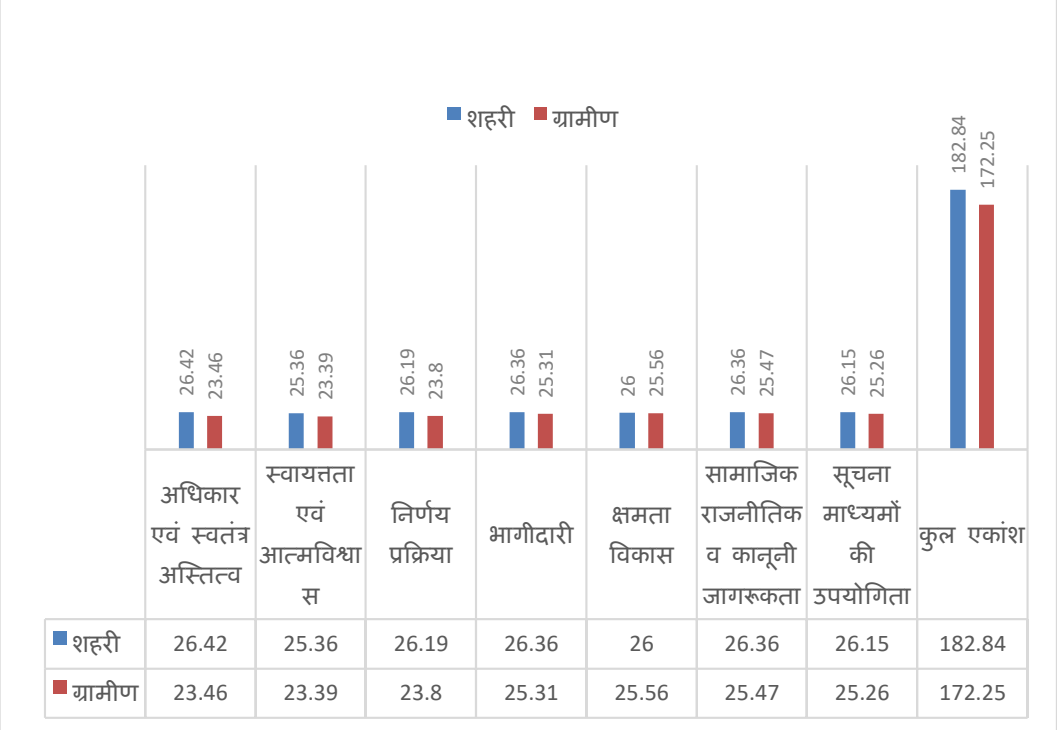

सारणी – 2

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता का तुलनात्मक अध्ययन

कुल पक्ष	क्षेत्र	संख्या	मध्यमान	मानक विचलन	मानक त्रुटि	टी-प्रासांक	सार्थकता परिणाम
नागरिक मूल्य	ग्रामीण किशोरियां	100	11.59	2.44	0.24	2.06	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	10.98	1.65	0.16		
राजनीतिक मूल्य	ग्रामीण किशोरियां	100	17.78	3.97	0.39	5.76	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	14.8	2.56	0.25		
आर्थिक मूल्य	ग्रामीण किशोरियां	100	10.48	2.46	0.24	1.670	सार्थक अंतर नहीं है।
	शहरी किशोरियां	100	9.93	1.96	0.19		
सामाजिक मूल्य	ग्रामीण किशोरियां	100	16.72	3.50	0.35	6.28	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	13.9	2.56	0.26		
सांस्कृतिक मूल्य	ग्रामीण किशोरियां	100	7.42	1.94	1.19	2.57	सार्थक अंतर है।
	शहरी किशोरियां	100	6.76	1.56	0.15		

कुल पक्ष	ग्रामीण किशोरियां	100	56.37	7.36	0.73	5.68	सार्थक अंतर है|
	शहरी किशोरियां	100	63.69	9.98	0.99		

सारणी संख्या - 2 के अंतर्गत ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की किशोरियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता के आयामों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया। जिसमें आयाम नागरिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य तथा सांस्कृतिक मूल्य पर प्राप्त अंकों की मध्यमान के बीच टी-प्राप्तांक क्रमशः 2.06, 5.76, 6.28, तथा 2.57 प्राप्त हुए। जो स्वतंत्रता अंश 198 के सार्थकता स्तर 0.05 के सारणी मान 1.96 से अधिक है। अतः स्पष्ट है कि उपयुक्त आयामों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की किशोरियों में सार्थक अंतर प्राप्त हुआ| शहरी क्षेत्र की किशोरियों का मानवाधिकार के उपयुक्त आयाम ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में अधिक है।

सारणी संख्या-2 का पुर्नअवलोकन करने पर विदित होता है कि आयाम आर्थिक मूल्य पर प्राप्त अंकों के मध्यमान के बीच टी- प्राप्तांक क्रमशः 1.670 प्राप्त हुआ जो स्वतंत्रता अंश 198 के सार्थकता स्तर 1.96 के सारणी मान से कम है। अतः स्पष्ट है कि आर्थिक मूल्य आयाम में ग्रामीण व शहरी क्षेत्र की किशोरियों में कोई सार्थक अंतर नहीं है। दोनों समूहों के आर्थिक मूल्य आयाम के मध्यमान का अवलोकन करने पर विदित होता है कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों के मानवाधिकार का आर्थिक मूल्य आयाम सामान स्तर का है। दोनों समूहों के कुल मानवाधिकार पर प्राप्त अंकों के मध्यमान के बीच टी- प्राप्तांक 5.68 प्राप्त हुआ। अतः स्पष्ट होता है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट होता है कि परिकल्पना - 2 "ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों में शहरी क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता" में कोई सार्थक अंतर नहीं है" निरस्त होती हैं |

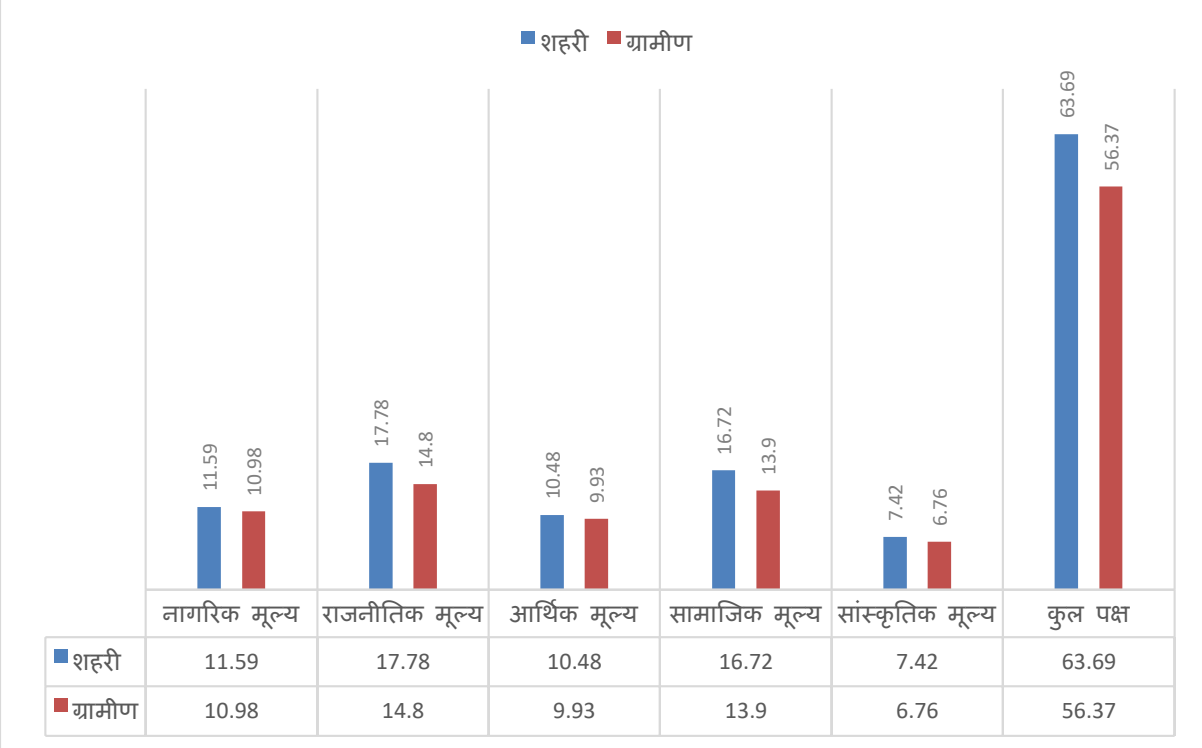

परिणाम-

- ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों में शहरी क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता" में कोई सार्थक अंतर नहीं है|
- ग्रामीण क्षेत्र की किशोरियों में शहरी क्षेत्र की किशोरियों की तुलना में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है|

निष्कर्ष –

- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों के सशक्तिकरण में सार्थक अंतर पाया गया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति में पहले से सुधार तो है परन्तु उस स्तर तक नहीं है जितना होना चाहिए| रुढिवादी समाज की पारंपरिक सोच एवं नियमों से उन्हें अभी भी जूझना पड़ता है| जिसके कारण वे समाज में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह पाती| शहरी क्षेत्रों में आधुनिक सोच के कारण इन रूढ़िवादी सोच के बंधनों को तोड़ दिया है| जिसके कारण शहरी महिलाएं समाज के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भागीदारी कर पाती हैं| ग्रामीण महिलाओं को घरेलू कार्यों के साथ-साथ कृषि का कार्य भी करना पड़ता है, जिससे वे घर की चारदीवारी के बाहर नहीं निकल पाती हैं| शहरी क्षेत्र की महिलाएं अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं लेती हैं| उनकी स्वयं की आय पर पूर्ण अधिकार होता है| वे विभिन्न प्रकार के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेती हैं| शहरी किशोरियां एन. एस. एस. ,एन. सी. सी. में भाग लेती हैं, परंतु ग्रामीण किशोरियों को भाग लेने के

लिए परिवार के पुरुष की सहमति की आवश्यकता होती है| ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं डाकघर या बैंक के कार्य नहीं कर पाती जबकि शहरी क्षेत्र की महिलाएं यह सभी कार्य करने में सक्षम होती हैं। और जिसके कारण शहरी क्षेत्र की महिलाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में महिला सशक्तिकरण की जागरूकता अधिक देखने को मिलती है|

- ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र की किशोरियों में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता में सार्थक अंतर है| ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं पर सामाजिक प्रतिबंध अधिक होते हैं| जिसके कारण वे अपने अधिकारों का उपयोग करने में असमर्थ होती हैं| ग्रामीण महिलाएं अपने दैनिक कार्यों एवं खेती के कार्यों में अत्यंत व्यस्त रहती है| इन महिलाओं को संसाधनों की कमी भी होती है| जो उनकी मानवाधिकार की जानकारी प्राप्त करने में बाधक तत्व है| शहरी क्षेत्र की महिलाओं की स्थिति ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की तुलना में अच्छी है| उन्हें शिक्षा, स्वतंत्रता के अवसर अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं जिससे उन्हें अपने अधिकारों का संपूर्ण ज्ञान होता है और वह अपने अधिकारों के प्रति लड़ने में सक्षम होती हैं|

सुझाव-

<u>माता-पिता के लिए -</u>

- माता-पिता को अपने बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर देने चाहिए और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में सहायता करनी चाहिए|
- माता-पिता को अपनी बालिकाओं को विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए|
- माता पिता को अपनी बालिकाओं को सामाजिक रूढ़िवादिता से बचाकर आधुनिक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करना चाहिए|
- माता-पिता को अपनी बालिकाओं को सामाजिक कार्य के लिए आगे बढ़ाना चाहिए| विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी करानी चाहिए|
- माता-पिता को अपनी बालिकाओं को को व्यवसायिक क्षेत्रों में अवसर प्रदान कराने चाहिए जिससे वे आर्थिक क्षेत्र में सशक्त बनकर उच्च जीवन यापन कर सके|
- माता-पिता को अपनी बालिकाओं के अधिकारों को संरक्षित करना चाहिए|
- माता-पिता को अपनी बालिकाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करना चाहिए|

<u>प्रशासन के लिए -</u>

- प्रशासन को महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में समान अधिकार प्रदान कराने चाहिए|
- प्रशासन को ऐसी नीतियों को कठोरता के साथ लागू करनी चाहिए जो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा कर सके एवं उन्हें सशक्त बना सके|
- प्रशासन को समाज को महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक करने वाले अभियान चलाने चाहिए जिससे समाज में उन्हें उचित स्थान मिल सके|
- प्रशासन को किशोरियों को शिक्षा में उचित अवसर प्रदान करके उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए|
- प्रशासन को समाज में अभी भी चल रही कुछ रूढ़िवादिता को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए|

<u>प्रधानाचार्य के लिए -</u>

- प्रधानाचार्य को महिलाओं को शिक्षा में अवसर देने में समर्थन करना चाहिए|
- प्रधानाचार्य को महिलाओं की शिक्षा के लिए सकारात्मक वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए|
- प्रधानाचार्य को विद्यालय में मानवाधिकार व सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए|
- प्रधानाचार्य को चाहिए कि वह विद्यालय में महिलाओं को समानता व स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति जागरूक करें|

<u>शिक्षकों के लिए -</u>

- शिक्षकों को सशक्तिकरण व मानवाधिकार की जानकारी होनी चाहिए जिससे वे विद्यार्थियों में भी सशक्तिकरण व मानवाधिकार के प्रति जागरूकता ला सके|
- महिलाओं को समाज में समानता के विषय में जानकारी प्रदान करें|
- महिलाओं को स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार स्वतंत्रता संबंधी जानकारी दें|
- महिलाओं को उनके सशक्तिकरण व मानव अधिकार को संरक्षित करने की जानकारी दें|

सन्दर्भ सूची

कुमार (2019). पंचायती राज में महिला सशक्तिकरण. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ पोलिटिकल साइंस एंड गवर्नेंस, 2 (2)

कुमार, ए. (2019). भारतीय संविधान और महिलाओं के अधिकार: विवेचनात्मक अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल आफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च, 5 (1).

कुमारी, एस. (2020). महिलाओं में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता. इंटरनेशनल जर्नल आफ अप्लाइड रिसर्च, 6 (10).

कुमारी, एस. (2019). महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की भूमिका. इंटरनेशनल जर्नल आफ एडवांस्ड अकैडमी स्टडीज, 2 (1).

कुमारी, एस. (2018). महिला सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल आफ रिसर्च एंड एनालिटिकल रिव्यूज, 5 (2).

कुमार, एच. (2019). भारतीय संविधान और महिलाओं के अधिकार: विवेचनात्मक अध्ययन. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस रिसर्च, 5 (1).

कुमारी, एस. (2015). ग्रामीण महिला उत्पीड़न के कारण, स्वरूप एवं निदान. जर्नल ऑफ़ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड इन्नोवेटिव रिसर्च, 2 (3).

कुमारी, के. (2020). महिलाओं में मानवाधिकार के प्रति जागरूकता. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ अप्लाइड रिसर्च, 6 (10).

कुमारी, ए.,शंभरकर, डी. (2020). माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों की महिला अधिकारों के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन.स्कॉलरली रिसर्च जर्नल इंटरडिसीप्लिनरी स्टडीज, 8 (61).

कुशवाहा, वी. एस., सिंह, टी. (2021). वूमेन एंपावरमेंट लिटरेचर रिव्यू एंड रिसर्च एजेंडा जर्नल ऑफ़ आर्कोलॉजी, 17 (7).